खाद्यान्न हेतु लाईसेंस एवं स्टॉक लिमिट

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा केवल शक्कर तथा खाद्य तेल एवं तिलहन के कारोबार हेतु अधिकतम स्टॉक लिमिट को प्रभावभील रखा गया है। इन आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर खाद्यान्न, दाल, दलहन जैसी आवश्यक वस्तुओं हेतु वर्तमान में स्टॉक लिमिट प्रभावभील नहीं है, अतः इन वस्तुओं हेतु लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है । वर्तमान में केवल शक्कर एवं खाद्य तेल तथा तिलहन के कारोबार हेतु लाईसेंस आवश्यक है एवं इस हेतु प्रभावशील अधिकतम स्टॉक लिमिट निम्नानुसार है –

आवश्यक वस्तु	अधिकतम स्टॉक लिमिट
शक्कर	5000 क्विंटल
खाद्य तेल (समस्त प्रकार)	500 क्विंटल
खाद्य तेल के बीज (समस्त प्रकार)	1000 क्विंटल

खाद्य तेल का कारोबार करने वाले ऐसे व्यापारी जो एक समय में 200 क्विंटल से अधिक तथा खाद्य तेल के बीज का कारोबार करने वाले ऐसे व्यापारी जो एक समय में 500 क्विंटल से अधिक मात्रा का स्टॉक रखते हैं, केवल उन्हें ही खाद्य विभाग से लाईसेंस की आवश्यकता होगी ।

इसी प्रकार शक्कर के कारोबारी जो एक समय में 100 क्विंटल से ज्यादा मात्रा में स्टॉक रखते हैं, उन्हें खाद्य विभाग से लाईसेंस लेने की आवश्यकता होगी।